

# {Uttar Pradesh} Regarding roll out of Intra-state E-way Bill [Hindi]

[Click Here to Download \(/masterboard/users/1/upload/tinyMCE/E%20Way Bill/upNoti38-sgst.pdf\)](/masterboard/users/1/upload/tinyMCE/E%20Way%20Bill/upNoti38-sgst.pdf)

अधिसूचना सं०-ई-वे बिल-प्रांतीय सम्यवहार/जी०एस०टी०/2018-19/ 38 /वाणिज्य क

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र०


(जी०एस०टी० अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक: 11 अप्रैल, 2018

## --:अधिसूचना:-

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उपनियम-14 के खण्ड-घ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या-ई-वे बिल-प्रांतीय सम्यवहार/जी०एस०टी०/2017-18/55/वाणिज्य कर दिनांक 29.03.2018 द्वारा 01 अप्रैल, 2018 से अग्रिम आदेशों तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य को ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया था, जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को सभी मालों के संचलन हेतु ई-वे बिल सृजित करने की आवश्यकता नहीं है तथा यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है।

मैं कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश प्रश्नगत अधिसूचना संख्या-ई-वे बिल-प्रांतीय सम्यवहार/जी०एस०टी०/2017-18/55/वाणिज्य कर दिनांक 29.03.2018 को विखण्डित करती हूँ तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 का विखण्डन दिनांक 15 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा।

  
(कामिनी चौहान रतन)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।